

झारखण्ड सरकार  
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग  
(मत्स्य प्रभाग)

सं० सं०-म०नि०-II-उ०यो०- /2017-18/ 02 /मत्स्य, राँची, दिनांक 15.4.17

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०  
सरकार के सचिव।

सेवा में,

\*अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

महालेखाकार  
झारखण्ड, राँची।


द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार\*।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) के बजट शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत कुल मो० 2230.00 लाख (बाईस करोड़ तीस लाख) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय सामान्य राज्यादेश सं०-09 दिनांक 12.06.2016, ऑन लाईन राज्यादेश सं० 838 दिनांक 12.06.2016, राज्यादेश सं०-10 दिनांक 11.07.2016, ऑन लाईन राज्यादेश सं० 1005 दिनांक 11.07.2016, राज्यादेश सं०- 17 दिनांक 25.10.2016 ऑन लाईन राज्यादेश सं० 1532 दिनांक 25.10.2016, एवं राज्यादेश सं० 18 दिनांक 25.10.2016 एवं ऑन लाईन राज्यादेश सं० 1533 दिनांक 25.10.2016, राज्यादेश सं०- 22 दिनांक 16.01.2017, ऑन लाईन राज्यादेश सं० 2096 दिनांक 16.01.2017, के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० 186 दिनांक 15.4.17 के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० 2230.00 लाख (बाईस करोड़ तीस लाख) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस योजना अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जलाशयों के कुल 1,15,000 हेक्टर जलक्षेत्रों में 3700 लाख मत्स्य अंगुलिकाओं का in-situ संभावित उत्पादन एवं उन्हीं जलाशयों में संचयन करने, राज्य के जलाशयों में कुल 265 लाख मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन करने, नदियों में 15.30 करोड़ स्पॉन का संचयन, विभिन्न जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में 55.67 लाख पंगेशियस एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर०एफ०एफ० हेतु इनपुट तथा 571 नये आर०एफ०एफ० के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।





3. अनुमानित स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न तीन लघु शीर्षों के निम्न मदों में प्राप्त बजट उपबंध के अनुरूप किया जायेगा, जिसके लिये राज्य योजना में समुचित बजट उपबंध एवं योजना उद्व्यय प्राप्त है:-

माँग संख्या-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)  
2405 मछली पालन -06 - तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क्र०	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	राशि (लाख ₹ में)
1	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500789060323	230.00
	उप योग:	230.00
2	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500796060323	950.00
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण(सामग्री) विपत्र कोड 53S240500796060543	36.00
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59 विपत्र कोड 53S240500796060759	14.00
	उप योग:	1000.00
3	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन	
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23 आपूर्ति एवं सामग्री विपत्र कोड 53S240500101060323	956.60
	विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-43 अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण(सामग्री) विपत्र कोड 53S240500101060543	32.40
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय-59 विपत्र कोड 53S240500101060759	11.00
	उप योग:	1000.00
	कुल योग:	2230.00

कुल मो0 2230.00 लाख (बाईस करोड़ तीस लाख) ₹0 मात्र ।

4. इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट- I, II तथा III में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

5. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/- (नौ हजार) ₹0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष-789 एवं लघु शीर्ष-796 में उत्पादित 1610 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत अर्थात् 1288 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष-101 में उत्पादित बीज

02  
15/4/17

*[Signature]*

*[Signature]*

890 लाख का शत-प्रतिशत अर्थात् कुल 2178 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/- (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 217.80 लाख (दो करोड़ सतरह लाख अस्सी हजार) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 322 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत-प्रतिशत अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रूप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

6. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 273 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1092 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/- रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा।

विभागीय हैचरी के संचालन हेतु स्थानीय समूह को विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा निदेशक मत्स्य द्वारा अलग से दिशा निदेश दिया जायेगा।

7000 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 1500/- रु0 का फैक्टरी फॉर्मूलेटेड फीड दिया जायगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम 2000/- रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

7. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/- रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रूप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) जलाशयों में पूर्व से अधिष्ठापित केजों तथा नदियों के चिन्हित स्थलों पर स्थानीय लाभुकों के माध्यम से इन-सीटू स्पॉन रिवर-रैचिंग तथा पुराने आर0एफ0एफ0 में स्पॉन/फाई हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य संपादित किए जायेंगे।

(घ) जलाशयों के छाड़न हेतु स्पॉन तथा नदियों में रैचिंग हेतु स्पॉन का क्रय जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित ईकाई लागत मो0 86000/- रु0 अनुमानित है। इस योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएंगे।

8. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं जलाशय के निर्बंधित सहयोग समिति के सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

02  
15/4/17

Form

do

9. (क) पंशियस बीज तथा अन्य मेजर कार्प की अंगुलिकाओं के क्य हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स/विडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।
- (ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (ग्रास कार्प अंगुलिका)/ 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्य किये जायेंगे।
- (घ) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय-समय पर निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।
- (ङ) उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) इस योजना के अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे।
10. झारखण्ड विकलांग नीति के तहत इच्छुक विकलांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा।
11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची/ पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/ गिरिडीह/ देवघर/ चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला-खरसौंवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/ पाकुड़/ रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी I, II एवं III के अनुरूप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।
12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/विशेष सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (पशुपालन प्रभाग) होंगे।
13. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरूपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।
15. स्वीकृत राशि का व्यय दिनांक 01.04.2017 से प्रारंभ किया जायेगा।
16. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी।
17. वित्तीय वर्ष 2016-17 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही ~~निदेशक मत्स्य~~ आवंटन निर्गत किया जायगा।
18. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।
19. योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत बजट उपबंध 4456.48 लाख रु0 मात्र में से अब तक व्यय 3779.40 लाख रु0 मात्र का स्वीकृत कार्य हेतु किया गया एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र लंबित नहीं है।
20. वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत ही व्यय होगा।
21. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त है।

02  
15/4/17

Form

Jus


22. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना ज्ञापांक 302 दिनांक 11.03.2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त शक्ति सीमा के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।
23. यह पूर्णतः राज्य योजना है।
24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
25. स्वीकृत राशि हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

  
15/4/17  
(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव


ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची, दिनांक 15.04.17  
प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/4/17  
सरकार के सचिव


ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची, दिनांक 15.4.17  
प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी, (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
15/4/17  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची, दिनांक 15.4.17  
प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची/ आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / उपायुक्त (सभी) एवं उप विकास आयुक्त (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
15/4/17  
सरकार के सचिव

ज्ञापांक 02 मत्स्य / राँची, दिनांक 15.02.17  
प्रतिलिपि अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
Omom

  
15/4/17  
सरकार के सचिव

परिशिष्ट - I

वित्तीय वर्ष 2017-18 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रशांग) - मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-06- तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत खिलावार शैक्षिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	योग
क	वित्तीय शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री	इकाईवाला	रामगढ़	कोडरमा	चतरा	बोकारो	गिरिडीह	धनबाद	गोड्डा	पलामू	गडवा	बेबर	
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	120	70	60	80	150	80	80	60	50	50	90	890
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	10.80	6.30	5.40	7.20	13.50	7.20	7.20	5.40	4.50	4.50	8.10	80.10
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का शैक्षिक लक्ष्य (सं० में)	220	160	170	160	200	170	210	190	120	120	280	2000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट फॉरमिडेट फ्री तथा जल का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	7.70	5.60	5.95	5.60	7.00	5.95	7.35	6.65	4.20	4.20	9.80	70.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्थान आपूर्ति का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	5400	3500	3400	3400	4300	3500	4500	4000	2500	2500	6000	43000
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्थान आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	26.73	17.325	16.83	16.83	21.285	17.325	22.275	19.8	12.375	12.375	29.7	212.68
7	पोटैबल हैबरी से मत्स्य स्थान उत्पादन का शैक्षिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	4	3	4	3	5	4	5	2	2	1	5	38
8	पोटैबल हैबरी से स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	1.60	1.20	1.60	1.20	2.00	1.60	2.00	0.80	0.80	0.40	2.00	15.20
9	विभागीय हैबरी का रखरखाव एवं स्थान उत्पादन का शैक्षिक लक्ष्य (सं० करोड़ में)	4.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	4.00	20.00
10	विभागीय हैबरी का रखरखाव एवं स्थान उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	1.60	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.80	0.00	0.80	0.80	1.60	8.00
11	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान के संरक्षण का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	3500	400	2600	550	2200	600	2500	350	1500	800	1000	16000
12	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान के संरक्षण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	28.00	3.20	20.80	4.40	17.60	4.80	20.00	2.80	12.00	6.40	8.00	128.00
13	जलाशय में मेजर कार्य मत्स्य अंगुलिकार्यों का संरक्षण का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	35	10	25	10	15	5	10	5	10	5	10	140
14	जलाशय में मेजर कार्य मत्स्य अंगुलिकार्यों का संरक्षण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	17.5	5	12.5	5	7.5	2.5	5	2.5	5	2.5	5	70.00
15	नदियों के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान संरक्षण का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	120	60	60	60	120	120	120	60	60	60	120	960
16	नदियों के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थान संरक्षण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	0.84	0.42	0.42	0.42	0.84	0.84	0.84	0.42	0.42	0.42	0.84	6.72
17	पुराने केबों में पोषियस/अन्य उष्णुक्त शैबों का संरक्षण का शैक्षिक लक्ष्य (सं० लाख में)	5.2	2.8	7.6	1.6	8.8	1	2.8	1	0	0	3.2	34
18	पुराने केबों में पोषियस/अन्य उष्णुक्त शैबों का संरक्षण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	7.80	4.20	11.40	2.40	13.20	1.50	4.20	1.50	0.00	0.00	4.80	51.00
19	पुराने विवरार्द्धन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का शैक्षिक लक्ष्य (सं० में)	24	16	16	12	14	12	16	10	6	6	6	138
20	पुराने विवरार्द्धन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	8.40	5.60	5.60	4.20	4.90	4.20	5.60	3.50	2.10	2.10	2.10	48.30
21	नये विवरार्द्धन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का शैक्षिक लक्ष्य (सं० में)	40	30	35	30	35	30	40	25	15	15	15	310
22	नये विवरार्द्धन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग के निर्माण तथा इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	34.40	25.80	30.10	25.80	30.10	25.80	34.40	21.50	12.90	12.90	12.90	266.60
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	145.37	75.85	110.60	73.05	119.13	71.72	109.67	64.87	55.10	46.60	84.84	956.60
	वित्तीय शीर्ष-05-निर्माण-43-अनुसंधान, मरम्भति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)												
23	कार्यालय/ प्रक्षेत्रों के अनुसंधान, मरम्भति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (राशि लाख ₹० में)	2.00	4.00	0.00	4.00	3.00	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	4.00	22
24	केन्द्र रिमोडिफिक का शैक्षिक लक्ष्य (सं० में)	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	13
25	केन्द्र रिमोडिफिक का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख ₹० में)	6.40	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	10.4
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	8.40	4.00	0.00	4.00	5.40	0.00	2.00	0.00	3.00	0.00	5.60	32.4
ग	वित्तीय शीर्ष-07-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय												0
26	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आन्तरिकला व्यय (राशि लाख ₹० में)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	11
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	154.77	80.85	111.60	78.05	125.53	72.72	112.67	65.87	59.10	47.60	91.44	1000.00

02/15/17

*(Handwritten Signature)*

(पूजा सिंघल)  
सरकार के सचिव



वित्तीय वर्ष 2017-18 में माँग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-06-तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं वीपीआर के अंतर्गत वित्तवाहक शीतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र०	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	योग	
क	विवरण	रैली	बूँदी	युवा	सिमडेगा	लोहरगा	तलेशेर	चार्कना	जमशेपुर	सतपकेरा	दुमका	जमालडा	साहेबनगर	पाकुड़	इलाहाबाद	रामगढ़	कोरगा	चरता	बोकारो	मिदिही	भरनाद	गोखड़ा	श्यामपू	गढ़वा	देवघर	योग	
1	निम्नोच्च मत्स्य बीज विद्या का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	10	20	10	10	20	300
2	निम्नोच्च मत्स्य बीज विद्या का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	1.35	0.45	3.60	0.45	0.45	0.45	0.90	0.90	1.35	1.35	0.90	0.90	1.80	1.35	0.45	1.35	0.90	0.90	0.90	0.90	1.80	0.90	0.90	1.80	27.00	
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का शीतिक लक्ष्य (₹0 में)	90	40	50	20	40	30	30	30	30	30	30	40	40	70	30	70	30	50	50	45	45	30	20	60	1000	
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इम्पुट (कॉन्सिटेड कोड एवं जग) का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	3.15	1.40	1.75	0.70	1.40	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.05	1.40	1.40	2.45	1.05	2.45	1.05	1.75	1.75	1.58	1.58	1.05	0.70	2.10	35.00	
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को सॉन आर्गुमेंट का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	1350	600	750	300	600	450	450	450	450	450	450	600	600	1050	450	1050	450	750	750	675	675	450	300	900	15000	
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को सॉन आर्गुमेंट का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	6.68	2.97	3.71	1.49	2.97	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.23	2.97	2.97	5.20	2.23	5.20	2.23	3.71	3.71	3.34	3.34	2.23	1.49	4.46	74.25	
7	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थापन का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	25	5	10	10	10	20	10	5	10	5	5	0	0	10	5	5	5	10	5	10	5	10	5	15	200	
8	जलाशय के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थापन का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	0.20	0.04	0.08	0.08	0.08	0.16	0.08	0.04	0.08	0.04	0.04	0.00	0.00	0.08	0.04	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08	0.04	0.08	0.12	1.60	
9	जलाशय में मेजर कर्म मत्स्य अंगुलियों के संवर्धन का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	
10	जलाशय में मेजर कर्म मत्स्य अंगुलियों के संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख में)	0.5	0	0.5	0	0	0.5	0.5	0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.50	
11	नदियों के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थापन का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	10	5	10	10	10	10	12	10	16	10	10	0	0	10	4	10	4	10	5	10	10	4	4	16	200	
12	नदियों के छाड़न (In-situ) में मत्स्य स्थापन का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	0.07	0.04	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.11	0.07	0.07	0.00	0.00	0.07	0.03	0.07	0.03	0.07	0.04	0.07	0.07	0.03	0.03	0.11	1.40	
13	पुराने कैनो में फीशिंग/अन्य उपयुक्त बीजों के संवर्धन का शीतिक लक्ष्य (₹0 लाख में)	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2.51	0.00	0.48	0.32	0.50	0.00	0.00	0.00	0.40	5.93	
14	पुराने कैनो में फीशिंग/अन्य उपयुक्त बीजों के संवर्धन का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	3.77	0.00	0.72	0.48	0.75	0.00	0.00	0.00	0.60	8.90	
15	पुराने विचारधर्न विद्या कॉमिंग/ओपेन एरिया कॉमिंग का शीतिक लक्ष्य (₹0 में)	4	0	2	0	0	2	2	0	4	2	2	2	2	4	4	2	0	2	0	2	0	0	2	2	40	
16	पुराने विचारधर्न विद्या कॉमिंग/ओपेन एरिया कॉमिंग का इम्पुट का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	1.40	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70	0.00	0.00	1.40	0.70	0.70	0.70	0.70	1.40	1.40	0.70	0.00	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.70	14.00	
17	नये विचारधर्न विद्या कॉमिंग/ओपेन एरिया कॉमिंग का शीतिक लक्ष्य (₹0 में)	6	4	4	4	2	4	8	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	4	76	
18	नये विचारधर्न विद्या कॉमिंग/ओपेन एरिया कॉमिंग के निर्माण तथा इम्पुट का वित्तीय लक्ष्य (₹शि लाख ०0 में)	5.16	3.44	3.44	3.44	1.72	3.44	6.88	3.44	3.44	0.00	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	65.36	
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	19.29	8.34	13.85	6.23	6.69	8.60	12.42	7.73	11.06	5.44	8.43	9.41	10.31	14.89	8.64	17.01	7.69	11.37	6.92	7.42	6.83	4.29	3.85	13.33	230.01	

02/15/17

Handwritten signature

02/15/17

सरकार के सचिव